न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 122/2022

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01. केसर कंवर पत्नी घनश्यामसिंह 02. जयपालसिह पुत्र घनश्यामसिंह जातियान— राजपुत निवासी— खोखरा तहसील सोजत जिला— पाली		01. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मोहनदास वैष्णव निवासी— सोजत रोड़ तहसील सोजत जिला पाली। 02. विजयसिह पुत्र घनश्यामसिंह जाति राजपूत निवासी— खोखरा, तहसील सोजत, जिला— पाली। 03. ब्रान्च मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सोजत रोड तहसील सोजत 04. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

आ.क्र.सं. 122/2022

उपस्थितिः—

01. श्री ताराचन्द टांक अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित
02.श्री आनन्द भाटी एवं श्री मानवेन्द्र भाटी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 उप0
03 श्री महेन्द्र चौधरी व भरतनाथ अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 02 उप0

—: निर्णय :— दिनांक :- 3.11.2022

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा एवं पटवार हल्का खोखरा के खसरा नम्बर 1641/1 रकबा 2.46 हैक्टर खसरा नबर 1644/1 रकबा 1.1850 हैक्टर खसरा नम्बर 653 रकबा 0.68 हैक्टर खसरा नम्बर 720/1 रकबा 1.1250 हैक्टर कुल खसरा 4 कुल रकबा 5.45 हैक्टर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 02 विजयसिंह की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थीया केसर कंवर के पति एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 के पिता की पैतृक संपति उक्त भूमि रही है। घनश्याम सिंह के स्वर्गवास के बाद राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 02 प्रत्येक का 01/03—01/03 हिस्सा खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि से ऋण लिया गया। जिससे अप्रार्थी संख्या 03 के रहन हुई। अप्रार्थी संख्या 02 परिवार के ज्येष्ठ पुत्र है जो परिवार से अलग रहकर माता की सेवा चाकरी नहीं करते है। अप्रार्थी संख्या 01 भू—तश्कर है। जो वादस्थ भूमि को कम कीमत पर खरीदकर मौके पर अनाधिकृत कब्जा करने की फिराक में है। दिनांक 14.07.2022 को प्रार्थीगण कोटा शहर मे थे। पीछे मौका देखकर अप्रार्थीगण 01 ने वाडों को साफ करने लगे तथा तारबंदी कर कब्जा करने लगे। अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थीगण तथा प्रार्थीगण के वहन—वहनोई से अनावश्यक विवाद कर वादस्थ भूमि विक्रय कर प्रार्थीगण को उनके हिस्से से महरूम करने की चेतावनी दी। यदि अप्रार्थीगण संख्या 02 अवैध बेचान करने में सफल हो जाता है तो मौके पर भारी तनाव व विवाद होगा तथा मुकदमेबाजी बढ़ेगी। जिससे प्रार्थी को अपूर्ण क्षति होगी। प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में परमाणित है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में मजवूत है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ताफैसला अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 को वादस्थ भूमि का बेचान—हस्तान्तरण नहीं करने व रहन की भूमि अन्य को हस्तातंरण नहीं करने से जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईस्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज तलब किया गया। दिनांक 12.10.2022 को अप्रार्थी संख्या 01, 03, 04 बावजूद सूचना/तामील अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 14.09.2022 को अप्रार्थी संख्या 02 विजयसिंह ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की पद संख्या 01 बिल्कुल ही गलत एवं झुठा है। सरहद मौजा खोखरा तहसील सोजत में वादस्थ भूमि आई हुई अवश्य स्थित है। जिस कृषि भूमि में अप्रर्थी संख्या 02 को 01/03 हिस्सा स्थित है। प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण संख्या 02 को प्रत्येक का 01/03—01/03 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जो सही है। उक्त भूमि में लिया गया ऋण चुकता कर दिया गया है तथा कोई ऋण बकाया नही है। वादस्थ भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं किया हुआ है। प्रार्थीगण का यह लिखना गलत है कि विजयसिंह द्वारा उनकी माता की सेवा चाकरी नहीं की जा रही है। अप्रार्थी संख्या 02 स्वयं खातेदार है जिससे वे अपने हिस्से की हक कृषि भूमि का बेचान हस्तानांतरण कर

उप खण्ड अधिकारी

सकते है जिसका उनको विधिक अधिकार प्राप्त है। बेचान के जो कथन है वो प्रार्थी स्वयं साबित करे। अप्रार्थी संख्या 02 ने प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल करने की कोई चेतावनी नहीं दी है और न ही कभी बैंक की गलत साख प्रकट की है। अप्रार्थी संख्या 02 बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करने के लिए सहमत है तथा अपने हिस्से व बंट की भूमि पर काबिज है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होने का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता है। सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषधाज्ञा प्राप्त करने के कोई अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिए अप्रार्थी संख्या 02 को पावंद किया जाता है तो प्रार्थी के बजाए अप्रार्थी संख्या 02 को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों में नही किया जा सकता है। इस प्रकार जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर उक्त प्रार्थना को खारिज किए जाने की ईस्तदुआ की है।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि प्रार्थी की भूमि संयुक्त कब्जेकाश्त की अविभाजित कृषि भूमि है। अप्रार्थी संख्या 02 अपनी माता की सेवा चाकरी नही करता है। प्रार्थीया का भरण पोषण इसी भूमि से होता है। अप्रार्थी संख्या 02 बिना वैध बंटवारा कराए भूमि बेचान करन पर आमादा है। आजीविका का मात्र यह एक साधन होने से यदि अप्रार्थी संख्या 02 बेचान करने में सफल होता है तो प्रार्थीया को अपूर्णिय क्षति होगी तथा मौके पर विवाद बढेगा। जिससे अप्रार्थी संख्या 02 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा वाद निस्तारण तक रोके जाने का निवेदन किया। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 ने व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 02 एक रेकर्डेड खातेदार है। अप्रार्थी संख्या 02 बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा के लिए भी तैयार है। रेकडेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। जिससे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात जवाब प्रार्थना पत्र का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। सरहद मौजा खोखरा में स्थित उक्त वादस्थ भूमि प्रार्थीया, प्रार्थी संख्या 01 व 02 तथा अप्रार्थी संख्या 02 की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है। अप्रार्थी संख्या एक रेकर्डेड खातेदार है। वादी द्वारा मूल वाद विभाजन का पेश किया है। । इउक्त विभाजन हेतु अप्रार्थी संख्या 02 ने सहमति भी अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित की है। मूल वाद में प्रस्तुत अन्य प्रस्तुत प्रा0पत्रो को संबंध में विस्तृत विनिश्चय पृथक से किया जा चुका है। इस स्तर पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि किसी भी रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाना इस स्तर पर न्यायोचित प्रतित नहीं होता है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन तथ्यहीन व पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाना तथा न्यायालय हाजा द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 20.07.2022 को निरसत किया जाना उचित समझते हैं।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 का सारहीन, तथ्यहीन व पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 8/11/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)